पटना में दिनांक–20 सितम्बर, 2016 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी)

1.	बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग में अध्यक्ष, सदस्य एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

2.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹ 80.1629625 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ सोलह लाख उनतीस हजार छः सौ पच्चीस) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में "समग्र गव्य विकास योजना" के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 2, 5, 10 एवं 20 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

3.	निबंधन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निबंधित निर्माण कामगारों को व्यक्तिगत लाभ दिये जाने के उद्देश्य से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 266, नियम 267 में आंशिक संशोधन एवं नया नियम 284 (क) का अंतःस्थापन किये जाने का प्रस्ताव।	3.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य–कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹ 3226.23 लाख (बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख तेईस हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

5.	रूपांकक संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

6.	प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

7.	वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना का Central Board of Excise And Customs (CBEC) Ministry of Finance, Government of India के साथ एकरारनामा {Memorandum of Understanding (MoU)} करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8.	तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक–1181, दिनांक–05.03.12 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं द्वितीय पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जुलाई 2016 में समाप्त हो गई है) कुल–3 (तीन) कनीय यांत्रिक अभियंता (सूची संलग्न) का वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर एक और वर्ष के लिए तृतीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

9.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) के पत्रांक–189 दिनांक–28.01.2009 द्वारा अनुशंसित तथा चतुर्थ पुनर्नियोजित में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है के कुल–34 (सूची संलग्न) को 27,000/–(सताइस हजार रूपये) मासिक पारिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर पंचम पुनर्नियोजन के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

10.	समूह 'घ' के कर्मियों के लिए संकल्प संख्या–3972, दिनांक–12.05.2016 के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण।	10.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

11.	दिनांक–18.09.2016 को जम्मू एवं कश्मीर के उरी में आतंकवादी हमले में शहीद हुए नायक एस०के०विद्यार्थी, जिला–गया, हवलदार अशोक कुमार, जिला–भोजपुर एवं सिपाही राकेश सिंह, जिला–कैमूर के आश्रितों को रू० 11,00,000/–(ग्यारह लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2016–17 में ब्रेडा के वेतन एवं वेतनादि के आलावा गैर योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में रूपये 7.5977 करोड़ (सात करोड़ उनसठ लाख सतहत्तर हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

13. बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में, एन०टी०पी०सी० एवं अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सीडी के रूप में 2112.67 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 के सितम्बर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के लिए 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) रूपये प्रतिमाह की दर से सात माह के लिए कुल 2100.00 करोड़ (इक्कीस सौ करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने एवं 12.67 करोड़ रूपये अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लंबित ऊर्जा विपत्र के भुगतान हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत बसडीला भाया जलालपुर नगरा से शाहपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 21.97 (कुल–21.97 कि०मी०) में क्रॉस ड्रेन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5559.14 लाख (पचपन करोड़ उनसठ लाख चौदह हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

15. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अंतर्गत जनदाहा (गुरू चौक) से मंगरू चौक–बिठौली चौक (एन॰एच॰–77) तक पथ के कि०मी० 0.00 से 25.90 (कुल –25.90 कि०मी०) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4805.27 लाख (अड़तालीस करोड़ पाँच लाख सत्ताईस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

16. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत एकमा से नगरा भाया छित्रवलिया, करही, चेतनछपरा पथ के कि०मी० 0.00 से 26.81 (कुल–26.81 कि०मी०) में क्रॉस ड्रेन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5939.22 लाख (उनसठ करोड़ उनचालीस लाख बाईस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

17. नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से 45.60 (कुल–21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4527.57 लाख (पैंतालीस करोड़ सत्ताईस लाख सन्तावन हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अंतर्गत महुआ–बखरी दोआ–डरूआ चौक तक पथ के कि०मी० 0 से 16.55 (कुल 16.55 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट (PQC) कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, विविध कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3178.22 लाख (इकत्तीस करोड़ अठहत्तर लाख बाईस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. पथ प्रमंडल, सिवान के अन्तर्गत बिन्दुसार–सुन्दरी– पुलयी हाता–बंगरा (सिवान–कोईनी पथ) पथ के कि०मी० 0 से 20.60 तक (कुल 20.60 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ, बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य, ह्यूम पाईप कल्भर्ट कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, ड्रेन कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, Utility Shifting कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4368.50 लाख (तैंतालीस करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।